न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 152/2024

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

अर्जुनसिंह पुत्र पुंजराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्रनगर, दांखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

बनाम

1. हस्तीमल पुत्र मलसिंह
2. गका पुत्री मलसिंह
3. बीबा पुत्री मलसिंह
4. भंवरी पुत्री मलसिंह
5. माफा पुत्री मलसिंह
6. सुका पुत्री मलसिंह
7. संगीता पुत्री मलसिंह
8. हवाकंवर पुत्री मलसिंह
9. देवीसिंह पुत्र मलसिंह
10. मोहनसिंह पुत्र मलसिंह
11. तगा पुत्र अंदरा
12. तारो पुत्री पुंजा
13. पारस पुत्र वरदा
14. मका पुत्र पुंजा
15. सुगटी पुत्री वगता
16. राणसिंह पुत्र मिसराराम
17. हरकू पत्नि मिसराराम

समस्त जातियान पुरोहित निवासी इन्द्रनगर, दांखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

18. गोमाराम पुत्र बागाराम
19. टिकमाराम पुत्र सुजाराम
20. मूलाराम पुत्र बागाराम
21. लालाराम पुत्र बागाराम
22. हुकमाराम पुत्र मेरामाराम

समस्त जातियान कलबी निवासी इन्द्रनगर, दांखा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमति गीता चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 22 की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 05.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2363 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2363 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 22 की तरफ जवाब प्रस्तुत किया गया। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2363 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2363 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 22 ने अपने जवाब के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी सीमाकंन के औरान भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान की कार्यवाही की, उस समय हल्का पटवारी के द्वारा विप्रार्थी हुकमाराम को कोई सूचना मौके [illegible] नहीं दी गई, एवं एकतरफा सीमाज्ञान की कार्यवाही की [illegible] हुकमाराम एवं अन्य विप्रार्थीगण की उपस्थिति में [illegible] आवश्यक है। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी हुकमाराम के द्वारा प्रार्थी [illegible] खसरा नंबर 1209 रकबा 21.2363 हैक्टेयर की भूमि पर कोई अतिक्रमण करना नहीं पाया गया है, प्रार्थी ने स्वयं ने अपने अनुवान प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि खातेदारी खेत खसरा नंबर 1810 / 1210 एवं एवं 1809 / 1210 के खातेदारान द्वारा जमाबंदी के रिकॉर्ड के अनुसार अधिक भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

किया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी हुकमाराम की खातेदारी भूमि के मध्य कोई विवाद नहीं न बताया गया है, ऐसी स्थिति में विप्रार्थी हुकमाराम को गलत तौर से पक्षकार बनाया गया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 22 तक मौके प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी भूमि को अपना बताकर जोर जबरदस्ती कानून हाथ में लेकर प्रार्थी की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है, एवं वादग्रस्त खसरा की सीमाओं को लेकर अपनी हठधर्मिता पर कायम है, एवं प्रार्थी का तन व नुकसान करने की बात गलत तौर से लिखी है। प्रार्थी की भूमि के एकतरफ मिठौड़ा की सरहद लगती है, एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि मिठौड़ा की सरहद के नीचे दबने के कारण अन्तर्ग्रामीय का मामला है, पूर्व में भी कई बार भूमि का नाप किया जा चुका था, मगर अन्तर्ग्रामीय होने के कारण विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में मिठौड़ा की सरहद के खातेदारान को भी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाना आवश्यक था, मगर पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज के है। यदि प्रार्थी की भूमि की मेखमबंदी का आदेश पारित करना श्री न्यायालय उचित समझती है, तो विप्रार्थी संख्या 2 की भूमि भी जमाबंदी में वर्णित खातेदारी भूमि से रकबा कम है, इसलिए विप्रार्थी संख्या 22 हुकमाराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1207 व 1208 सरहद मौजा इन्द्रानगर, दांखा की भी मेखमबंदी करने का आदेश फरमावें।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया, जिसमें पाया गया कि मौजा इन्द्रानगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2383 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की मेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थी सं. 22 ने प्रार्थी के साथ–साथ स्वयं के खातेदारी खेत की मेखमबंदी करवाना चाहत है। तथा शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित [illegible] करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी [illegible] प्रार्थी [illegible] है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र एवं विप्रार्थी [illegible] 22 [illegible] स्वीकार किया जाकर मौजा इन्द्रानगर पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के [illegible] खसरा संख्या 1209 रकबा 21.2383 हैक्टेयर के साथ–साथ इसी ग्राम के खेत खसरा नम्बर 1207 व 1208 की भूमि के नाप नक्श जरिये सम्बन्ध स्थापित करते हुए मेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested

कमिश्नर नियुक्त किया जाता है.उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा. करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:28 IST
Reason: SelfAttested